अनवान जगदीश बनाम प्रेम कुमार

08.06.23 पत्रावली आज मंहगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 कैम्प भगतपुरा में पेश हुई। प्रार्थी (वादी) प्रेमकुमार पुत्र रामकुमार जाति बिश्नोई साकिन संगरिया एवं अप्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 4 ता 6) जगदीश, छोटूराम, इन्द्रजीत पिसरान कृष्ण कुमार जाति बिश्नोई साकिन संगरिया ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 एव अ.धारा 151 व 152 सीपीसी प्रस्तुत कर चक 03 एनटीडब्ल्यु के खाता संख्या 26/22 के प.न. 182/165 के मु.न. 09 के किला नं. 25/0.228 के आगे 0.025 गै.मु. रास्ता व पत्थर नम्बर 183/166 मु.न. 13 किला नं. 5,6/0.228 प्रत्येक के आगे 0.050 गै.मु. खाला व पत्थर नम्बर 182/166 मु.न. 14 किला नम्बर 5/0.205 के सीन पर 5/0.114 है. व 0.013 गै.मु. रास्ता वादी के नाम तथा इसी चक के पत्थर नम्बर 182/166 मु.न. 14 किला नं. 5/0.088 है. हिस्सा व 0.012 है. गै.मु. रास्ता प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के नाम बहिब दूरूस्त कर संशोधित डिक्री पारित किये जाने हेतु अपना राजीनामा प्रस्तुत किया। जो शामिल पत्रावली किया।

राजीनामा के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादीगण जगदीश, इन्द्रजीत एवं छोटूराम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार रकबे में संशोधन किया जाता है :–

1. चक 03 एनटीडब्ल्यु के खाता संख्या 8/7 प.न. 182/166 मु.न. 14 किला नम्बर 5/1 का रकबा 0.026 से बढाकर 0.114 किया जाता है अर्थात जगदीश के हिस्से 0.868 में 0.029 जोड़ा जाकर 0.897 हैक्टेयर किया जावे व इन्द्रजीत के हिस्से 0.867 में 0.029 जोड़ा जाकर 0.896 किया जावे एवं छोटूराम के हिस्से में 0.868 में 0.030 जोड़ा जाकर 0.898 किया जावे तत्पश्चात् किला नं. 5/3 में 0.025 गै.मु. रास्ता का रकबा (प्रत्येक के हिस्से मे से 0.004 घटाते हुए) 0.012 किया जावे। इस प्रकार जगदीश का कुल हिस्सा 0.897–0.004 =0.893, इन्द्रजीत का कुल हिस्सा 0.896–0.004 =0.892 एवं छोटूराम का कुल हिस्सा 0.898–0.004 =0.894 किया जावे।
2. अप्रार्थी/वादी प्रेम कुमार के चक 03 एनटीडब्ल्यु के खाता संख्या 40/26 प.न. 182/166 मु.न. 14 के किला नम्बर 5/2 में 0.202 के स्थान पर 0.114 नहरी व किला नम्बर 5/4 में 0.013 गै.मु. रास्ता कर दिया जावे।

अतः मूल वाद संख्या 179/2007 प्रेम कुमार बनाम रामकुमार वगैरा मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.05.2010 में लालस्याही से संशोधन किया जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली दाखिल दफतर होकर मूल वाद के साथ संलग्न किया जावे।

आदेश सुनाया गया।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official